

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

दिनांक:-आरपीए/जन/डीपी कोत/2022/ 6389

दिनांक:- 6/7/22


खुली निविदा सूचना

रास्था रिथत डीपी कोत के लिए किच क्रय करने से मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं निविदा सूचना www.sopp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं-

क्र. सं.	आइटम	अनुमानित राशि (लाख)	अनानंत राशि रु.	निविदा फार्म मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	रास्था रिथत डीपी कोत के लिए किच क्रय करने हेतु (Annexure - A के अनुसार)	2.12 लाख	4,40/-रु	200.00 रु	15.07.2022


निविदा शर्तेः-

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा) से निर्धारित शुल्क (पैकर चेक/डिमांड ड्रापट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदायें मोहर बन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 15.07.2022 दोपहर 1.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में आरपीए, जयपुर (सामान्य शाखा/विड बॉक्स) में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.07.2022 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के साथ खोली जावेगी।
3. बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, विक्री कर प्राप्त पत्र, विक्री कर चुकती प्रगाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदा के साथ नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. जो निविदाएं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा शर्त जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
8. क्रय समिति को किसी भी निविदा को रखीकार व अस्थीकर करने का पूर्ण अधिकार होगा।


अति. महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दियस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का अग करें।
3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आरपीए, जयपुर।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
5. श्रीग्राम, आरपीए, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sopp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलाउ करवाना सुनिश्चित करावें।
6. प्रभारी सीडीपीएसएम/स्टेशनरी/कैशियर, आरपीए, जयपुर।
7. नोटिस बोर्ड, आरपीए, जयपुर।


अति. महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:-य-15(25)आरपीए/जन/विविध/2020/

दिनांक:-

निविदा प्रारूप
वित्तीय विड विविध नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि
15-07-2022 समय 01.00 बजे तक।
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि
.....07-2022 साथ 03.30 बजे।

- संस्था स्थित औपी कोत के लिए किथ ब्राव करने हेतु निविदा।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता

ई-गेल एवं मोबाइल नं.

बोलीदाता का :- पैन नं.

टिन नं.

जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.

- किसको सम्बोधित की गयी—निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- सन्दर्भ :-
- निविदा शुल्क की राशि रु 200/- बैंकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्रापट सं दिनांक के द्वारा जमा करा दी गई है।
- निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
- सामान का विवरण एवं स्पेशीफिकेशन परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।
- निविदाएं तकनीकी विड व वित्तीय विड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी विड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय विड खोली जावेगी।
- कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
- निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के नाम बैंक ड्रापट/बैंकर्स चैक सं दिनांक द्वारा राशि रुपये 4240/- बयाना राशि के पेटे जमा करवाई गई।
- इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
- यिनिमाता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।

निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्र०सं०	सामान का विवरण	अनुमानित तादात	दर प्रति नग (जी.एस.टी. सहित)
1	Police Sword with Leather Cover with Leather Frog. Size with Handle with Cover 40 Inches Handle to Blade 36 inches Thickness 25/4 mm	50 नग	
2	Scabbard with frog	50 नग	

- (1) तकनीकी जॉच के लिए सामान के सैंपल आरपीए, जयपुर में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
सैंपल सफल पाए जाने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
- (2) तकनीकी व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जानी हैं।

(हस्ताक्षर)
फर्म प्रतिनिधि

खुली निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक "द्वारा चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते रहमय हनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी जाएगी।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड मुद्रवंद लिफाकों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। तकनीकी रूप से अस्थीकृत बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाएँ—
 - (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जाएगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।
 - (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण—
 - (i) किसी भी आईटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे कर्म पात्र मानी जाएंगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्थीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होना चाहिए।
 - (ii) राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वाचित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।
 - (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्थीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य कर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्थीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्थीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन कर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपायन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं नव्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जाएगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन कर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 0.25 रूप में राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित कर्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जाएगी।
 - (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जाएगी एवं उत्पादन इव इव का निरीक्षण किया जाएगा।
 - (vii) राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

14. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युवितयुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता / ठेकेदार के परिसर में जावेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
15. परीक्षण प्रभार :—परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
16. रद्द करना :—
 - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएंगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही रवय की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
 - (ii) आपूर्ति किया गया गाल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
 - (iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी सामानकी तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
18. (A)बोली प्रतिभूति (Bid Security) :—

निविदा के साथ बोली प्रतिभूति बोली के भिलए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य 2 प्रतिशत होगी या राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा 0.25 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों सेव भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं पित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, यह बोली के मूल्य का 0.50 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से, यदि छुट प्राप्त नहीं हो तो बोली आमत्रित करने वाली सूचना में यथा—विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

 - (i) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अलाया अन्य बोलीदाताओं द्वारा बोली के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित राशि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया में बोली प्रतिभूति जमा करवाई जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली, संक्षिप्त कार्यवाही के बाद निरस्त कर दी जायेगी।
 - (ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, साहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कमनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
 - (iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होय के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अधिकार उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हैं, द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की घीर्थाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्योगों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के विन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जायेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जायेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% नूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक

- (i) नकद/बैंक ड्राप्ट/बैंकर्स चेक
(ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।
(iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफ़ॉस/सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/पिलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्थीकार किया जायेगा।
20. प्रतिभूति राशि का सम्पहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पहरत किया जायेगा :—
(f) जब सविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(g) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/समानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(g) प्रतिभूति निक्षेप को सम्पहरण करने के मामले में युवित्तयुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
(h) सामानमें असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय विल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
21. सुपुर्दग्धी अवधि :—
(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्थीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार कार्य/अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा।
(ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का वलेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
22. परिसमाप्ति नुकसानी :— परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दग्धी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :—
(k) निहित सामानअवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
(l) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
(m) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।
(n) निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
(o) यदि प्रदाय कर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आदेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
(p) यदि सामानकरने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानकी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
23. वसूली :— परिनिर्धारित क्षतियों कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं/अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से विल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसका देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निषेध से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :— निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।
26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्थीकार या अस्थीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विकय/विपणन एजेण्ट हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले विना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पद्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्थीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.

शपथ—पत्र

मैं.....

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

पूर्ण पता—

टेलीफोन नं.

नोट:-

1. क.संख्या (11) में अकित संलग्न दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes or "No" अकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया :-
 - (ए) तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र रवं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि खुली-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेगें।
 - (बी) बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमें बोली के तहत मांगे गये डी.डी./वैकर्स चैक, फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलबन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ट में भरकर इस लिफाफे को सीलबन्द करना होगा। तथा इन दोनों बन्द लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलबन्द कर उस पर सम्बधित निविदा कार्य का नाम तथा बोलीदाता फर्म का नाम पता व दूरपाल/मोबाइल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के
हस्ताक्षर समय मोहर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date :

Place :

Designation :

Address :

Signature of bidder

Name :

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
- (I) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (II) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

AnnexureD: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured

from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.